२४.५.२१ पत्रावली पेश हुयी अप्रार्थी / पैरोकार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से प्रकरण शुद्धि का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 119	04.03.2025	24.04.2025

उनवान

01 किशन सिंह पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ

..............................प्रार्थी

बनाम

02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.
राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी किशन सिंह पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 89 के आराजी ख0 न0 344/452 रकबा 0.02 हे0 का 1/4 हिस्सा खाता सं0 85 के आराजी ख0 न0 558/344 रकबा 0.27, 565/345 रकबा 0.18, 568/252 रकबा 0.12, 576/361 रकबा 0.14 हे0 सम्पूर्ण खाता सं0 27 के आराजी खसरा नं0 354 रकबा 0.65, 582/359 रकबा 0.34, 59 रकबा 0.46 हे0 का 1/5 हिस्सा वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ अलवर में स्थित है जिसका प्रार्थी रिकोर्डेड काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम गोहा के खाता सं0 89, 85, 27 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम किशन सिंह पुत्र रामलाल है। जो सही है, प्रार्थी को किशन सिंह पुत्र रामलाल के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के आधार कार्ड व राशनकार्ड जनआधार कार्ड पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम किशन सिंह पुत्र रामलाल दर्ज है जो सही है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए बैक मैनेजर द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार केडिट कार्ड बनाने से मना कर दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

तहसीलदार रामगढ के यहां प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि मै आपके नाम को दुरूस्त नही कर सकता। सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये उसके बाद मै नाम दुरूस्त कर सकता हूँ। राजस्व कर्मचारियान द्वारा प्रार्थी के पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से किशन सिंह के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात मे सही नाम किशन सिंह दर्ज है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज रहने से प्रार्थी के हकूक जायल होते है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम दस्तावेजात के आधार पर सही नाम रामकिशन के स्थान पर किशन सिंह दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता सं0 89 के आराजी खसरा नं0 344/452 रकबा 0.02 हे0 का 1/4 हिस्सा, खाता सं0 85 के आराजी खसरा नं0 558/344 रकबा 0.27, 565/345 रकवा 0.18, 568/252 रकवा 0.12, 576/361 रकबा 0.14 हे0 सम्पूर्ण खाता सं0 27 के आराजी खसरा नं0 354 रकबा 0.65, 582/359 रकवा 0.34, 59 रकबा 0.46 हे0 का 1/5 हिस्सा वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज है जो गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल है। जो सही है, प्रार्थी को किशन सिंह पुत्र रामलाल के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के आधार कार्ड व राशनकार्ड, जनआधार कार्ड पहचान पत्र, आरजीएचएस कार्ड, बैंक पासबुक्स, पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी का पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल दर्ज है जो सही है। प्रार्थी का नाम रामकिशन के स्थान पर ताहाल राजस्व रिकार्ड में किशन सिंह दर्ज कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि वाद में वर्णित वाके ग्राम गोहा के खाता संख्या 85, 89, 27 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को उक्त आराजी जर्ये विरासत, नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 20.05.2012 से प्राप्त हुयी है। तथा विरासत के नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज हुआ है। जांच अनुसार प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल है। विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण में रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही रामकिशन पुत्र रामलाल के स्थान पर किशनसिंह पुत्र रामलाल करवाना चाहता है। मुताबिक जांच रिपोर्ट व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल होने के कारण नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

मु0नं0 : 03 / 119
उनवान : किशन सिंह बनाम सरकार

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके ग्राम गोहा के खाता संख्या 85, 89, 27 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को उक्त आराजी जर्ये विरासत, नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 20.05.2012 से प्राप्त हुयी है। तथा विरासत के नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज हुआ है। जांच अनुसार प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल है। विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण में रामकिशन पुत्र रामलाल दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही रामकिशन पुत्र रामलाल के स्थान पर किशनसिंह पुत्र रामलाल करवाना चाहता है। मुताविक जांच रिपोर्ट व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में नाम किशनसिंह पुत्र रामलाल होने के कारण नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम गोहा के खाता संख्या 85, 89, 27 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल के स्थान पर किशनसिंह पुत्र रामलाल दुरूस्त करना उचित प्रतित होता है। भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामलाल के स्थान पर किशनसिंह पुत्र रामलाल दुरूस्त किया जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ